राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड,जयपुर।

क्रमांक :– सी.बी.एस / मु.प्र. / वित्त / केन्टिन / 24 / 2295 दिनांक:–06-11-24

ई–बोली आमंत्रण सूचना

केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिन्धी कैम्प जयपुर पर सुलभ कॉम्पलेक्स (शौचालय / मूत्रालय) व केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिन्धी कैम्प जयपुर पर एवं अधिनस्थ बस स्टैण्ड ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर (नवीन भवन के अतिरिक्त) पर होर्डिंग्स, पिल्लर बोर्ड, साईन बोर्ड, ग्लो साईन बोर्ड पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई–बोली आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नप्रकार से है:–

क्र. सं.	स्थान / प्लेटफार्म नम्बर	स्टाल नं.	स्टाल प्रकृति / कार्य	साईज वर्ग फीट	RISL प्रोसेसिंग फीस	निविदा शुल्क (जीएसटी सहित)	धरोहर राशि	अनुमानित वार्षिक आय,जी.एस.टी. अतिरिक्त
1.	केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिन्धी कैम्प जयपुर पर एवं अधिनस्थ बस स्टैण्ड ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर (नवीन भवन के अतिरिक्त) पर	106	होर्डिंग्स,30 अधिकतम	20X10 वर्गफीट अधिकतम	1500	590	50,000	86,40000
			पिल्लर बोर्ड, उपलब्ध खाली स्थान	04X03 वर्गफीट अधिकतम				
			साईन बोर्ड, उपलब्ध खाली स्थान	06X02 वर्गफीट अधिकतम				
			ग्लो साईन बोर्ड 50 अधिकतम	06X02 वर्गफीट अधिकतम				
2.	प्लेटफार्म नं. 04,निकासद्वार	402	सुलभ कॉम्पलेक्स (शौचालय / मूत्रालय)	-	1500	590	50,000	56,61,515

निविदा सम्बंधित विस्तृत जानकारी नियम व शर्तो में उपलब्ध है। RISL प्रोसेसिंग फीस हेतु डिमांड ड्राफ्ट / बैर्कस चैक **MANAGING DIRECTOR RISL** के नाम देय होंगे। धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट / बैकर्स चैक **CM RSRTC CBS JAIPUR** के नाम से देय होंगे। डिमांड ड्राफ्ट / बैर्कस चैक की छाया प्रतिलिपि (Scanned Copy) ई–बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी। मूल डिमांड ड्राफ्ट / बैर्कस चैक दिनांक 04.12.2024 को 15:00 बजे तक कार्यालय मे पहुच जाने चाहिये, तकनीकी बोली दिनांक 04.12.2024 को ही 16:00 बजे खोली जावेगी। निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नानुसार है।

क्र. / सं.	विवरण	दिनांक	समय	स्थान
01	बोली दस्तावेज डाउनलोड करना	06.11.2024	18:00	
02	प्री–बिड मिटिंग	13.11.2024	14:00	मुख्य प्रबन्धक कक्ष सी.बी.एस. आगार जयपुर
03	ई–बोली प्रारम्भ	14.11.2024	10:00	
04	ई–बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	03.12.2024	17:00	
05	मूल बोली दस्तावेज को मुख्य प्रबन्धक को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	04.12.2024	15:00	मुख्य प्रबन्धक कक्ष सी.बी.एस. आगार जयपुर
06	तकनीकी बोली खोली जाने की तिथि	04.12.2024	16:00	

विस्तृत बोली दस्तावेज उपापन पोर्टल https://eproc.rajasthan.gov.in, https://sppp.rajasthan.gov.in और निगम वेबसाइड https://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc से डाउनलोड किये जा सकते है भविष्य में सभी अपडेट इन्ही वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। अतः इच्छुक बोलीदाता को इन वेबसाइट को निरंतर विजिट करने की सलाह दी जाती है। निविदा को बिना पूर्व सूचना के आंशिक या पूर्ण रूप से संशोधित / निरस्त किया जा सकता है।

मुख्य प्रबन्धक
सी.बी.एस आगार,जयपुर।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,सी.बी.एस आगार,जयपुर।

केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिंधी कैम्प जयपुर पर शौचालय/मुत्रालय हेतु अस्थाई रूप से लाईसेन्सधारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

तकनीकी बिड–प्रपत्र

कंपनी की दशा में फोटो अनिवार्य नही है।

मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस आगार

01	फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता	:–	
02	टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नं.		
	कार्यालय	:–	
	निवास	:–	
03	टेलेक्स/फैक्स नम्बर	:–	
04	व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण	:–	
05	धरोहर राशि	:–	
06	धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा ड्राफ्ट/बैकर्स चैक नम्बर	:–	
	दिनांक	:–	
07	निगम में अन्य स्टैण्ड पर पूर्व में सुलभ कॉम्पलेक्स का आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण।		
08	निविदादाता का जिस बैंक में खाता है उसका नाम बैक में खाता नम्बर	:–	
09	अन्य आवश्यक विवरणः– पहचान पत्र, पेन नम्बर, एवम् एक फोटो, जी.एस.टी. पंजीकरण फर्म/कम्पनी होने की दशा में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. पंजीकरण खुली निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी है। इसके बिना वित्तीय निविदा नही खोली जायेगी।	:–	

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हैसियत/मोहर सहित।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर।

निविदा–शर्तें

केन्दीय बस स्टैण्ड,जयपुर के प्लेटफार्म नं. 04, निकास द्वार पर शौचालय/मुत्रालय की साफ–सफाई एवम् रखरखाव कार्य की निविदा की शर्ते निम्न प्रकार से है :–

1. शौचालयों/मूत्रालयों के साफ–सफाई एवम् रख–रखाव कार्य की अनुबन्ध अवधि प्रथम बार एक वर्ष के आवंटन किया जायेगा। एवं आगारीय समिति की अनुशंषा के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जा सकेगा।
2. अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंधन होने पर कभी भी अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
3. सुलभ कॉम्पलेक्स में उपलब्ध स्थान पर लाईसेन्सी को स्वयं के व्यय पर दो पृथक से महिला मुत्रालय (यूरेनल पॉट) की व्यवस्था करवानी होगी। जिस पर महिला मुत्रालय निःशुल्क लिखवाना अनिवार्य होगा। उक्त कार्य में होने वाले किसी भी प्रकार के व्यय का पुर्नभरण निगम द्वारा नहीं किया जावेगा।
4. शौचालयों/मुत्रालयों की साफ–सफाई, रख–रखाव के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार मरम्मत का कार्य लाईसेन्सी द्वारा स्वयं के खर्चे पर किया जायेगा। शौचालयों/मुत्रालयों धरों की साफ–सफाई 24 घन्टे स्वंय के खर्चे पर ठेकेदार को करनी होगी। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् कार्य परिषद उसी स्थिति में निगम को वापिस संभलवायेगा जिस स्थिति में निगम द्वारा कार्य प्रारम्भ करते समय लाईसेन्सी को कार्य हेतु अधिकृत किया था अन्यथा इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय की वसूली लाईसेन्सी से की जावेगी।
5. शौचालयों उपयोगकर्ता यात्रियों से जनरल शौचालय घर पाँच रूपये, स्नान घर का पाँच रूपये तथा स्पेशल शौचालय घर (शौचालय+स्नान) का दस रूपये वसूल किया जा सकेगा। मूत्रालय का उपयोग सभी के लिए पुर्णतः निःशुल्क होगा। इस सम्बन्ध में स्पस्ट स्थाई आवश्यक सूचना पटट सम्बन्धित स्थान पर प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सी (द्वितीय पक्ष) की होगी निर्धारित दर मोटे–मोटे अक्षरों में बोर्ड या दीवार पर लिखवानी होगी ताकि सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके।
6. शौचालय/मूत्रालय परिसर के अन्दर से सीवर लाईन तक जुड़ने से पूर्व की ड्रेनों की साफ'सफाई का दायित्व लाईसेन्सी का होगा।
7. यात्रियों के हाथ धोने के लिए साबुन की निःशुल्क व्यवस्था लाईसेन्सी को करनी होगी।
8. सफाई हेतु फिनायल, वांशिग पाउडर, पौचा, डस्टर, तैजाब, साबुन, सोडा आदि सामग्री की व्यवस्था लाईसेन्सी को करनी होगी।
9. शौचालय/मुत्रालयों की सुविधाएं यात्रियों को 24 घन्टे उपलब्ध करवानी होगी।
10. लाईसेन्सधारी स्वयं के खर्चे पर सम्बन्धित विभाग से बिजली कनेक्शन प्राप्त करेगा व उसका भुगतान सम्बन्धित विभाग को करेगा। अनुबन्ध समाप्त होने पर आगारीय समिति सम्बन्धित विभाग को कनेक्शन बन्द के लिए सूचित करेगी।
11. शौचालय/मुत्रालयों के लिए पानी की व्यवस्था निगम (प्रथम पक्ष)करेगा, लेकिन अपरिहार्य कारणों से निगम द्वारा इनकी प्रदायगी न कर पाने की स्थिति में लाईसेन्सी (द्वितीय पक्ष) को स्वयं के खर्चे पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। लाईसेन्सी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी का दुरूपयोग नही होवे अन्यथा आगारीय समिति द्वारा शास्ति आरोपित की जा सकती है।
12. इन स्थानों की दीवारों पर चिपकाये जाने वाले पोस्टर/स्टीकरों, नारों आदि को लाईसेन्सी अविलम्ब हटायेगा/साफ करायेगा।
13. प्रथम पक्ष निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान अथवा अन्य माध्यम से दिये गये आदेशों की पालना द्वितीय पक्ष को करनी होगी।
14. द्वितीय पक्ष लाईसेन्सी के किसी भी कर्मचारी को किसी भी स्थिति में कोई भुगतान क्षतिपूर्ति आदि प्रथम पक्ष राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा देय नहीं होगा।
15. शौचालय/मुत्रालयों की सफाई, कीटनाशक औषधियों से एक सप्ताह में कम से कम दो बार लाईसेन्सी को आवश्यक रूप से करानी होगी।
16. शौचालय/मुत्रालयों पर कार्य करते समय यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी अपंग हो जाता है तो उन्हे मुआवजा आदि देने की तथा अन्य समस्त जिम्मेदारी/भार लाईसेन्सी का होगा निगम की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेवारी नहीं होगी साथ ही लाईसेन्सी के कार्य कलापों से यदि किसी तृतीय पक्ष को असुविधा/हानि होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व उक्त लाईसेन्सी का ही होगा। निगम की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेवारी नही होगी।
17. अनुबन्ध की अवधि में यदि संस्था के सफाई कर्मियों द्वारा हड़ताल की जाती है तो निगम द्वारा शौचालय/मुत्रालयों की साफ–सफाई, रखरखाव के कार्य पर जो भी व्यय होगा वह लाईसेन्सी से वसूल किया जायेगा किन्तु लाईसेन्स फीस में छूट देय नहीं होगी।
18. शौचालयों/मुत्रालयों की साफ–सफाई हेतु पानी एकत्रित करने की टंकियों की सफाई प्रत्येक माह में कम से कम दो बार लाईसेन्सी को करनी होगी।
19. लाईसेन्सी के सफाई कार्य का निरीक्षण करने के लिए आगारीय कमेटी या उनके द्वारा दिये गये निर्देश/निर्णय की पालना करने के लिए लाईसेन्सी बाध्य होगा शौचालय/मुत्रालयों घरों की साफ–सफाई व रखरखाव सन्तोषजनक है अथवा नहीं यह निर्णय करने का अधिकार मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस आगार जयपुर को होगा।

20. अनुबन्ध की अवधि में यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उक्त विवाद पर पंच निर्णय के रूप में निगम के अध्यक्ष को निर्णय का अन्तिम अधिकार होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

21. निर्धारित लाईसेन्स राशि प्रतिदिन निगम कोष में जमा करानी होगी प्रतिदिवस जमा नही कराये जाने की स्थिति में 100/- रू प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति राशि जमा करानी होगी तथा 7 दिवस तक जमा नही कराने की स्थिति में अनुबन्ध समाप्त करते हुए सुरक्षा राशि जप्त कर ली जावेगी।

22. सुरक्षा राशि के रूप में एक माह की लाईसेन्स फीस के बराबर राशि डी.डी/ ड्राफ्ट/बैकर्स चैक मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस कार्यालय में जमा करानी होगी। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रस्ताव स्वीकार होने के सात(07) दिवस के भीतर ही सुरक्षा राशि जमा कराने के अलावा अनुबन्ध पत्र भरकर प्रस्तुत कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।

23. प्राप्त दरों की स्वीकृति/अस्वीकृत करने का तथा दर दाताओं के प्रस्ताव को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार आगारीय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

24. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रस्तावित जी.एस.टी. का भुगतान लाईसेन्सी को लाईसेन्स फीस के अतिरिक्त लाईसेन्स फीस के साथ प्रतिदिन निगम कोष में जमा कराना होगा।

25. लाईसेन्सी द्वारा स्वेच्छा से यदि कार्य छोड़ा जाता है तो कार्य छोड़ने की दिनांक से तीन माह पूर्व कार्यालय मे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि/सुरक्षा राशि निगम हित में जब्त कर ली जावेगी।

26. लाईसेन्सी द्वारा सुविधा उपभोगकर्त्ता से निगम द्वारा निर्धारित शौचालय स्नानघर शुल्क की ही वसुली की जावेगी एवं मुत्रालय/पेशाव सभी के लिए निःशुल्क रहेगा। यदि निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल करने की प्राप्त शिकायत सही पायी जाती है तो 1000 रूपए प्रथम दो प्रकरण तक प्रति शिकायत के हिसाब से शास्ती राशि वसूल की जावेगी, अग्रिम दो प्रकरण सत्यापित पाये जाने पर 2000 रूपये प्रति शिकायत के हिसाब से शास्ती राशि वसूल की जावेगी एवं पांचवी बार प्रकरण सत्यापित पाये जाने पर 5000 रूपये शास्ती राशि वसूल की जावेगी तथा इसके पश्चात् प्राप्त शिकायत सत्यापित पाये जाने पर अनुबन्ध समाप्ति के साथ सुरक्षा राशि जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

27. निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि 50000/- बैक ड्राफ्ट जो कि मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस आगार, जयपुर के नाम हो संलग्न करनी होगी। निविदादाता को निविदा में पैन नम्बर व आधार नम्बर देना आवश्यक होगा।

28. घोषणा-पत्र जो संलग्न किया हुआ है पूर्ण भरकर प्रस्तुत करना होगा।

29. प्रस्ताव स्वीकृति के पश्चात् तीन दिवस में निविदादाता की 500/- रू. व 100/-रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।

30. निविदा-प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेगें।

31. निविदा-प्रस्ताव सरल एवम् शुद्ध भाषा में होगें तथा किसी प्रकार की काट-छाट ना हो प्रस्ताव पर संस्था के मालिक/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षरी होने चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखे।

32. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होगें।

33. यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति फर्म के विरूद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।

34. केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी, केन्द्र एवम् राज्य सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों एवम् राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारी एवम् उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को लाईसेन्स आवंटित नहीं किया जा सकेगा।

35. सिन्धी कैम्प परिसर में नव निर्माण कार्य के कारण निगम प्रशासन को स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेन्सी को 24 घंटे का लिखित नोटिस देकर एवं अन्य किसी स्थिति में 10 दिवस का लिखित नोटिस देकर स्थान खाली करवाते हुए लाईसेन्स निरस्त किया जा सकता है एवम् इसके लिए लाईसेन्सी को किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।

36. सुलभ संचालनकर्ता को बस स्टैण्ड की मुख्य पानी की लाईन से सुलभ तक पानी की लाईन सुलभ संचालनकर्ता को स्वंय के व्यय पर डलवानी होगी। साथ ही लाईन डलवाने में प्रयुक्त होने वाले पाईप एवम् पानी चढाने हेतु मोटर आदी की व्यवस्था भी स्वंय के व्यय पर करनी होगी। निगम द्वारा इस हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

37. पानी का फिक्स किराया 2000/- रूपये प्रतिमाह होगा। नियत अवधि में बिल जमा नही कराये जाने पर 4 प्रतिशत शास्ति राशि वसूल ही जावेगी।

38. प्रत्येक माह बिजली का बिल जमा कराना अनिवार्य होगा। मासिक रूप से बिजली का बिल जमा नहीं कराने पर कनेक्शन विच्छेद कर दिया जायेगा। पुनः कनेक्शन जुडवाने पर 500/- रू शास्ति राशि वसूल की जावेगी। निर्धारित अवधी में बिजली का बिल जमा नहीं कराने के दो प्रकरण होने पर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी।

39. निविदादाता द्वारा निविदा फार्म पूर्ण व साफ साफ भरा होना चाहिए। अपूर्ण/काट छाट वाला निविदा फार्म किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नही किया जावेगा तथा फार्म निरस्त कर दिया जावेगा।

40. निविदादाता को निविदा फार्म के लिफाफे पर क्रम संख्या केन्टीन/स्टाल आदि का नाम एवं निविदादाता का नाम/पता अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। अन्यथा उस निविदा फार्म को स्वीकार नही किया जायेगा।

41. निविदा फार्म जिस व्यक्ति/संस्थान के नाम होगा निविदा खोलते समय उस व्यक्ति/फर्म या फर्म के किसी कार्यरत कर्मचारी का उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अन्यथा उस निविदा फार्म को स्वीकार नही किया जायेगा।

42. किसी शर्त का उल्लंघन करने पर बिना पूर्व सूचना के 24 घण्टे का नोटिस देकर दुकान का लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा एवम् इसके लिए लाईसेन्सी को किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।

मैने उपरोक्त शर्तों को भलीभांति पढ़कर, समझकर, सुनकर बिना दबाव के हस्ताक्षर किये है उक्त शर्ते मुझे पूर्णतया स्वीकार है।
श्रीमान कार्यकारी निदेशक (विधि) महोदय के कार्यालय आदेश क्रमांक 783 दिनांक 03.05.2024 के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उक्त अनुबन्ध की शर्तो में Dispute Resolution and Arbitration Clause को भी निम्नानुसार शामिल किया जाता है:—

43. **Dispute Resolution:** Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/ 17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.

44. Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/contracts/agreements issued by the Corporation shall be filed in the competent court located in jaipur.

मैने उपरोक्त शर्तों को पढ़कर, समझकर,सुनकर मैने हस्ताक्षर किये है। उक्त शर्ते मुझे मुझे पूर्णतया स्वीकार है।

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड,जयपुर।

घोषणा–पत्र

निविदादाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

1. मैं/हम निगम कोष में जमा रसीद संख्या/डी.डी.संख्या/ बैकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... राशि .... रूपये .... जो कि C.M.RSRTC CBS JAIPUR के नाम देय है, संलग्न कर रहे है/कर दिया है।
2. मै/हमने निगम की समस्त शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना करने का वचन देता हूँ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ लाईसेन्सी आधार पर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर दूंगी/देगें।
3. मैं/हम घोषणा करता/करते है कि मैने/हमने जो प्रस्ताव किये है उसमें किसी अन्य संस्थान का कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान की तरफ से नही दिये गये है।

दिनांक :–

(हस्ताक्षर निविदा दाता)
मय पद/हैसियत व मोहर सहित।

ANNEXURE - 1

DECLARATION BY BIDDERS REGARDING QUALIFICATIONS

In relation to our Bid submitted to .... [enter designation and address of the procuring entity] for bid of canteen stalls at CBS Jaipur .... [insert name of the Goods] in response to their Notice Inviting Bids No............................ Dated .... we hereby declare that:

1. Declaration by the Bidder under Section 7 and 11 of the Act
   i. We are eligible and possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bid Document issued by the Procuring Entity.
   ii. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bid Document.
   iii. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have our affairs administered by a court or a judicial officer, not have our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
   iv. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
   v. We do not have a conflict of interest as specified in the RTPP Act & Rules and this Bid Document, which materially affects fair competition.
   vi. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the RTPP Act & Rules, and this Bid Document, till completion of all our obligations under the Contract.
2. Declaration by Bidder (For not being blacklisted)
   We, the undersigned declare that our firm have not been blacklisted by any of STU's/Govt. of India / State Government/ Public sector undertaking for breach of contract.
3. Declaration by Bidder (For not being bankruptcy and insolvent)

We, the undersigned declare that our firm have not been Bankruptcy /insolvent by any of Govt. bank / private bank.

If above declarations are found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/ our Bid Security may be forfeited in full and the Bid if any to the extent accepted may be cancelled.

Signed: ____________________Name: ______________________________________

In the capacity of: ____

Duly authorized to sign the Bid for and on behalf of: ____________________

Date: ___________Tel: ___________ Fax: ________________ e-mail: _______________

Date:	Signature of Bidder:
Place:	Name:
Designation:	Address:

Signature and seal of bidder

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,सी.बी.एस आगार,जयपुर।

केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिंधी कैम्प जयपुर व अधिनस्थ ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैण्ड पर विज्ञापन प्रदर्शन (नवीन भवन के अतिरिक्त) हेतु अस्थाई रूप से लाईसेन्सधारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

तकनीकी बिड–प्रपत्र

कंपनी की दशा में फोटो
अनिवार्य नही है।

मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस आगार

01	कम्पनी/फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता		:–	
02	टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नं.			
		कार्यालय	:–	
		निवास	:–	
03	टेलेक्स/फैक्स नम्बर		:–	
04	व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण		:–	
05	धरोहर राशि		:–	
06	धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा ड्राफ्ट/बैकर्स चैक नम्बर		:–	
	दिनांक		:–	
07	निगम में अन्य स्टैण्ड पर पूर्व में स्टाल/बूथ का आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण।			
08	निविदादाता का जिस बैंक में खाता है उसका नाम बैक में खाता नम्बर		:–	
09	अन्य आवश्यक विवरणः– पहचान पत्र, पेन नम्बर, एवम् एक फोटो, जी.एस.टी. पंजीकरण फर्म/कम्पनी होने की दशा में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. पंजीकरण खुली निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी है। इसके बिना वित्तीय निविदा नही खोली जायेगी।		:–	

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हैसियत/मोहर सहित।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर।

निविदा की शर्तें निम्नानुसार है:–

1. केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिन्धी कैम्प जयपुर व अधिनस्थ बस स्टैण्ड ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर(नवीन भवन के अतिरिक्त) पर होर्डिग्स की साईज/संख्या विज्ञापन के लिए निम्नप्रकार से होगी:–

विज्ञापन	संख्या	साईज
होर्डिग्स	30 अधिकतम	20X10 फुट अधिकतम
पिल्लर बोर्ड	उपलब्ध खाली स्थान	04X03 फुट अधिकतम
साईन बोर्ड	उपलब्ध खाली स्थान	06X02 फुट अधिकतम
ग्लो साईन बोर्ड	50 अधिकतम	06X02 फुट अधिकतम

उक्त के अतिरिक्त बुकिंग साईन बोर्ड केन्द्रीय बस स्टैण्ड जयपुर के सभी प्लेटफॉर्मो, मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार, व निकास द्वार एवं केन्द्रीय बस स्टैण्ड जयपुर के अधिनस्थ बुकिंगघर दुर्गापुरा, लालनिवास, चौमू पुलिया पर ही लगाए जाऐगें। बुकिंग साईन बोर्ड में 80 प्रतिशत स्थान पर निगम सूचना/विज्ञापन प्रदर्शित किए जाऐगें एवं शेष 20प्रतिशत स्थान विज्ञापन के लिए उपलब्ध रहेगा।

नोट:– लाईसेंसी को उक्त के अतिरिक्त बस स्टैण्डों पर वाल पेन्टिगं तथा आडियो विज्ञापन लगाने की अनुमति नही दी जायेगी ।

2. निविदादाता/बोलीदाता/कम्पनी/संस्था/फर्म का भारतीय कम्पनी अधिनियम अथवा आवश्यक कानून के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। फर्म को किसी विभाग/संस्था में होर्डिग्स, पिल्लर बोर्ड, ग्लो साईन बोर्ड पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का तीन वर्ष का अनुभव होना जरूरी है जिसका प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। निविदादाता/बोलीदाता/कम्पनी/संस्था/फर्म को गत तीन वर्ष की आयकर रिर्टन की प्रतिलिपी बोली प्रपत्र के साथ संलगन करनी होगी। यदि निविदा दाता/कम्पनी/संस्था द्वारा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाते है अथवा प्रदत्त सूचना असत्य एवं अपूर्ण पायी जाती है तो इसे अयोग्यता मानते हुए उनके प्रस्ताव को निरस्त/अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।
3. यदि लाईसेंसधारी द्वारा निगम के मौजूदा विज्ञापन स्ट्रक्चर आदि का उपभोग किया जाता है तो अनुबन्ध रदद्/समाप्ति पर निगम सम्पति/विज्ञापन स्ट्रक्चर को जिस अवस्था में निगम द्वारा सम्हलवाये गये थे उसी अवस्था में लाईसेन्सी को सुपुर्द करवाने होगें अन्यथा निगम कोष में लाईसेन्सी की जमा राशियो में से उसकी वसूली की जायेगी।
4. वस स्टैण्ड पर लाईसेन्सधारी स्थानीय, नियमों के अनुसार उपलब्ध स्थान पर यात्रियों की सुविधा एंव बस स्टैण्ड परिसर की सुन्दरता को ध्यान में रखते हुए संबंधित मुख्य प्रबन्धक की इजाजत के अनुसार संलग्न सूची में दर्शाए गये विज्ञापन पट्टों की संख्या के अनुसार विज्ञापन पट्ट/होर्डिग्स विज्ञापन प्रदर्शित कर सकेगें। लाईसेंसधारी को स्वयं के खर्चे पर प्रमाणित मार्का का सब मीटर लगाना होगा, जिसकी प्रथम रीडिगं निगम के रिकार्ड पर नोट की जाकर सब मीटर पर निगम की विशेष सील लगाई जावेगी उस सील को सुरक्षित रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा जिसका नियमों के अनुंसार मासिक भुगतान करना होगा। निगम के पास अतिरिक्त विधुत क्षमता उपलब्ध होगी तब ही लाईसेन्सी को विधुत उपलब्ध करवाई जावेगी। जिसके फलस्वरूप निगम के अन्य कार्य प्रभावित नही होते हो तथा निगम लाईसेन्सी को विधुत उपलब्ध कराने के लिये बाध्य नहीं होगा एंव इसमें हानि व अन्य दोष के कारण निर्धारित लाईसेन्स शुल्क मे कोई छूट/रियायत स्वीकार्य नही होगी।
5. लाईसेन्सी को यह अधिकार होगा कि वह जब भी चाहे उन्हे सक्षम अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई जगह पर अपने खर्चे पर विज्ञापन लगा सकता या हटा सकता है।
6. अनुबन्ध प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए होगा। दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद/न्यायायिक एवं विज्ञापन शुल्क, लाईसेंस शुल्क बकाया न होने एवं सन्तोषजनक सेवाये रहने पर एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर दोनो पक्षो की आपसी सहमति से न्यूनतम 20 प्रतिशत राशि बढ़ाकर अर्थात पूर्व लाईसेंस फीस में न्यूनतम 20 प्रतिशत वृद्धि कर लाईसेंस फीस जमा करते हुये अगले एक वर्ष के हेतु नवीनीकरण किया जावेगा। तथा अधिकतम 02 वर्ष हेतु आगारीय समिति की अनुशंषा पर नवीनीकरण किया जा सकेगा। उक्त लाईसेंस अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदा आमंत्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा निर्देशानुसार समय पर स्थान आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुज्ञा की अवधि समाप्ति पर लाईसेन्सी द्वारा स्वतः ही बिना सूचना/नोटिस प्राप्त हुए निगम को स्थान खाली कर कब्जा सम्भलाना पड़ेगा। लाईसेन्सी द्वारा किसी न्यायालय में निगम के विरूद्ध वाद दायर नही किया जा सकेगा।
7. लाईसेंस शुल्क के नियमित भुगतान हेतु एवं अनुबंध पत्र की शर्तों की पूर्ण पालना हेतु लाईसेंसी द्वारा छः माह की लाईसेंस फीस की राशि के बराबर राष्ट्रीयकृत शिड्यूल बैंक की मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड जयपुर के नाम से **बैंक गारण्टी प्रस्तुत** करनी होगी। जो अनुबंध अवधि की समाप्ति के चार माह के बाद तक प्रभावी

होगी। वह बैंक गारण्टी समय पर प्रस्तुत नहीं की जाने की दशा में अमानत राशि/सुरक्षा राशि जप्त कर ली जायेगी। **बैंक गारण्टी अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व देनी होगी।**

8. निगम के बस स्टैण्डों पर विज्ञापन प्रारम्भ/प्रदर्शित करने की एवज में लाईसेन्सी द्वारा अनुबन्ध अवधि में निर्धारित राशि के अनुसार विज्ञापन शुल्क देय होगा।
9. लाईसेन्सधारी लाईसेन्स फीस के प्रतिवर्ष (वर्ष आवंटन दिनांक से माना जावेगा) 12 अग्रिम पोस्ट डेटेड़ चैक जो प्रत्येक माह की 01 तारीख को देय होगे, देगा। अग्रिम लाईसेन्स फीस संबंधित माह की 7 तारीख तक अग्रिम जरिये बैकर्स चैक/ड्राफ्ट द्वारा निगम मे जमा करानी होगी। इस निर्धारित समय सीमा में पूर्ण राशि जमा नहीं होने पर रूपयें 500/-(अक्षरे पांच सौ रूपयें मात्र) अथवा देय लाईसेंस फीस का 1प्रतिशत दोनो मे से जो भी अधिक हो, शास्ति राशि प्रति दिवस जमा करानी होगी।
10. निविदा के समय धरोहर राशि **50,000/-रू** (अक्षरे पचास हजार रूपये) की डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस. आगार के नाम से संलग्न करनी होगी। चैक एंव नकद राशि किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगी। यह राशि जमा न होने की दशा में निविदा प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। यह राशि निगम कोष मे जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा तथा अस्वीकृत निविदाओं की राशि, निविदाओं पर अंतिम निर्णय होने के उपरान्त ही बिना ब्याज के लौटायी जायेगी।
11. निगम द्वारा जिस निविदा दाता के प्रस्ताव स्वीकार किये जावेगे उन्हे इस आशय की सूचना प्राप्त होने के **10 दिवस के अन्दर सुरक्षा राशि के रूप मे 3 माह की स्वीकृत/अनुमोदित लाईसेन्स फीस के बराबर राशि डी.डी./बैंकर्स चैक** के रूप में जमा करानी होगी एंव पाँच सौ रूपए के भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प पर निर्धारित शर्तो के अनुरूप लिखित में अनुबन्ध करना होगा। यह राशि धरोहर राशि रूपये **50,000/-** के अतिरिक्त होगी तथा यह दोनों राशियां निगम कोष में बिना ब्याज के जमा रहेगी, जो अनुबन्ध की शर्तो की समुचित पालना के पश्चात् एंव अनुबन्ध अवधि समाप्ति के चार माह पश्चात् बिना ब्याज़ के लौटायी जावेगी। यदि निविदाकर्ता प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 10 दिवस में अनुबन्ध नहीं करता एंव निर्धारित सुरक्षा राशि जमा नहीं कराता है तो उसके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी एवं नियमानुसार द्वितीय उच्चतम निविदादाता को अथवा पुनः निविदा कर लाईसेन्स का आवंटन किया जा सकेगा।
12. नई विज्ञापन ऐजेन्सी को **कार्यादेश दिनांक से 30 दिवस का समय** विज्ञापन स्ट्रेक्चर आदि के लिए दिया जावेगा, तथा **आदेश दिनांक से 30 दिवस पश्चात लाईसेंस फीस देय होगी।**
13. लाईसेंसी का यह लाईसेंस पूर्ण रूप से अहस्तान्तरणीय होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण पाया गया तो सम्पूर्ण सुरक्षा/धरोहर राशि जब्त करने के साथ लाईसेंस समाप्त करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा एंव इसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने व कानूनी कार्यवाही का भी पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
14. स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा सरकार द्वारा विज्ञापन पर प्रदाय किये जाने वाले समस्त प्रकार के टेक्स/प्रभार/सेवाकर/शुल्क आदि जमा कराने की जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी। करवंचना के किसी भी मामले में निगम पार्टी नही होगा तथा किसी प्रकार के कर/प्रभार/शुल्क शास्ति आरोपित होने की दशा में समस्त दायित्व लाईसेंसी का ही होगा। यह राशि लाईसेन्सी द्वारा जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में लाईसेन्सी की जमा सुरक्षा राशि में से इसका भुगतान कर दिया जायेगा। जिसका पुर्नभरण लाईसेन्सी द्वारा 15 दिवस के अन्दर-अन्दर करना होगा तथा वह इस प्रकार की स्थिति से उत्पन्न अन्य जिम्मेदारी के लिए भी उत्तरदायी होगा।
15. लाईसेंस की शर्त के अनुसार लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस शुल्क/विज्ञापन शुल्क 15 दिवस तक जमा नही कराये जाने पर निगम बिना किसी नोटिस के लाईसेन्सी के समस्त विज्ञापन पट्ट हटा सकेगा तथा विज्ञापन पट्ट सामग्री तथा एंगल, टिनबोर्ड, गार्डर जब्त कर सकेगा तथा लाईसेंस रद्द कर सकेगा एंव धरोहर एंव सुरक्षा राशि जब्त कर सकेगा एंव बकाया राशि वसूल की जा सकेगी। जंब्त सामग्री को बकाया राशि की वसूली हेतु नीलाम व अन्य उपलब्ध कानूनी प्रकिया से भी करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा। जिसके सम्बन्ध में लाईसेंसी न्यायालय में कोई विवाद नही ले जा सकेगा।
16. लाईसेंसी द्वारा जमा कराई गई धरोहर/सुरक्षा राशि में से निगम द्वारा किसी क्षतिपूर्ति की वसूली की जाती है तो वह राशि निगम द्वारा जब्त की गई दिनांक से 15 दिवस के भीतर पुनः जमा करानी होगी अन्यथा लाईसेंस स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अन्यथा लाईसेंसी को 15 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेगा।
17. लाईसेंसी द्वारा होर्डिग्स/पिल्लर बोर्ड/साईन बोर्ड/ग्लो साईन बोर्ड मुख्य प्रबन्धक की अनुमति से ही सूची में वर्णित होर्डिग्स/पिलर बोर्ड/साइन बोर्ड/ग्लो साईन बोर्ड की सख्या एवं साईज के अनुसार ही उपलब्ध कराये गये स्थल पर लगाये जा सकेगें।
18. राज्य/केन्द्र सरकार एवं निगम को अपनी किसी सूचना का प्रदर्शन बस स्टैण्डों पर करने की आवश्यकता हुई तो वह संलग्न सूची सहित निगम के किसी भी बस स्टैण्ड पर उक्त सूचना का प्रदर्शन कर सकेगें। इसके लिए लाईसेंन्सी को किसी प्रकार की छूट विज्ञापन शुल्क/लाईसेंस शुल्क में नही दी जावेगी।

19. लाईसेंसी के होर्डिंग्स/पिलर बोर्ड की किसी भी कारण से चोरी हो जाने/गिर जाने/फट जाने/जलने/प्राकृतिक आपदा/अन्य किसी भी प्रकार से होने वाली क्षति का दायित्व स्वयं लाईसेंसी का होगा तथा इस हेतु निगम द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जावेगी।

20. लाईसेंसी द्वारा किसी प्रकार के नशीले पदार्थ पान मसाला गुटखा एवं तम्बाकुं के उत्पाद के विज्ञापन/अश्लील विज्ञापन अथवा केन्द्र/राज्य सरकार/स्थानीय/स्वायत्तशासी संस्थान एंव निगम द्वारा प्रतिबंधित या जनहित में मना करने पर किसी सामग्री या वस्तु का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं कर सकेगा। तथा उसके उल्लघंन पर होने वाली हानि के लिए लाईसेन्सी स्वयं जिम्मेदार होगा व विज्ञापन पट्ट हटाने पर निगम द्वारा किये गये खर्चे की वसूली लाईसेन्सी से करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

21. निगम द्वारा बस स्टैण्डों पर वाहन संचालन के स्थान परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई व कोई निमार्ण कार्य या सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यकता हुई तो निगम द्वारा 7 दिवस के नोटिस दिय जाने पर लाईसेन्सी को समस्त होर्डिग्स विज्ञापन पट्ट/साईन बोर्ड अपने खर्चे पर अनिवार्य रूप से हटाने होगें अन्यथा इसमें लापरवाही बरतने पर या नहीं हटाने पर निगम द्वारा किये जाने वाले समस्त प्रकार के खर्चों की वसूली लाईसेंसी से की जावेगी एंव विज्ञापन सामग्री की टूटफूट के लिये निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उक्तानुसार होर्डिग्स/विज्ञापन पट्ट/साईन बोर्ड हटने से लाईसेन्स फीस में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जावेगी।

22. लाईसेन्सी को श्रम कानून व भंविष्य निधी कानून तथा अन्य संबंधित कानूनों की पूर्ण पालना करनी होगी। लाइसेंसी द्वारा इस हेतु किसी प्रकार का उल्लंघन किया जावेगा तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

23. अनुबन्ध की शर्तो का उल्लघंन करने पर निगम को अनुबन्ध को तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी दशा में जमा धरोहर/सुरक्षा राशि व बैंक गारन्टी जप्ती के साथ अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु निगम अधिकृत होगा।

24. लाईसेंस अवधि में निगम द्वारा बिना कारण बताये किसी भी समय लाईसेंन्सी को एक माह का नोटिस जारी कर अनुबन्ध पत्र निरस्त करने का अधिकार होगा एंव इसकी कोई क्षतिपूर्ति लाईसेंसी को देय नही होगी यदि लाईसेंसी द्वारा अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो उसे अनुबन्ध के 6 माह पश्चात् 3 माह पूर्व सूचना निगम को देनी होगी, 3 माह पूर्व सूचना नहीं देने की स्थिति में फर्म की जमा धरोहर राशि एंव सुरक्षा राशि निगम द्वारा जब्तकर ली जावेगी।

25. युद्व/दंगें/जन विद्रोह/बन्द/हडताल/तालाबन्दी/दुर्घटना या निगम के आंतरिक निर्णय के फलस्वरूप निगम के निर्धारित स्टैण्डों पर वाहनों का संचालन निरस्त हो जाता है या किया जाता है तो लाईसेंन्सी को इस आकस्मिक घटना की एवज में किसी प्रकार की छूट या रियायत विज्ञापन शुल्क/लाईसेंस शुल्क में स्वीकार्य नही होगी तथा अन्य जगह से किये गये वाहन संचालन पर विज्ञापन पट्ट प्रदर्शित करने की स्वीकृति देना निगम के लिये बाध्य नही होगा।

26. लाईसेंस समाप्ति पर लाईसेंसी को होर्डिग्स/साईन बोर्ड/ग्लो साईन बोर्ड एवं पिल्लर बोर्ड 7 दिवस में स्वयं के खर्चे पर हटाने होगें।

27. निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि लाईसेन्सधारी के अलावा विज्ञापन का लाईसेंस अन्य फर्म को भी जारी कर सकेगा। लाईसेन्सधारी को इस बारे में किसी तरह का एतराज उठाने का अधिकार नहीं होगा।

28. जिस निविदाकर्ता के प्रस्ताव को निगम द्वारा स्वीकार किया जावेगा उसे निगम के साथ स्वयं के खर्चे पर एक अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा। जिसका प्रारूप निगम कार्यालय द्वारा दिया जावेगा जो लगभग इन्ही शर्तो के आधार पर होगा।

29. निविदा प्रस्ताव सरल एंव शुद्ध भाषा में हो तथा किसी प्रकार की कांट–छांट न हो, प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिये तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि हस्ताक्षर कर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत लिखे।

30. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होगें।

31. किसी भी निविदा को स्वीकृत करना निगम के लिये बाध्यकारी नहीं है तथा किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को होगा।

32. यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरूद्व निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।

33. किसी भी विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड की गई संस्था/निविदादाता फर्म के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा तथा ऐसी फर्म द्वारा प्रस्ताव दिये जाने पर फर्म की धरोहर राशि जब्त की जावेगी।

34. लाईसेंस की इन शर्तों से लाईसेंसधारी के पक्ष में इस परिसर के संबंध में कोई किरायेदारी अधिकार प्राप्त नही होगा और लाईसेंस के निरस्त होने पर निगम को स्थान का पुनः कब्जा लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

35. लाईसेंसधारी अथवा उसके कर्मचारी द्वारा निगम द्वारा आवंटित परिसर पर किये जाने वाले अस्थायी निर्माण को दिये गये डिजायन के अनुसार ही किया जावेगा। अपनी स्वेच्छा से आवंटित स्थल पर कोई निमार्ण कार्य नही किया जावेगा। अस्थाई निर्माण से संबंधित दिये गये डिजायन के अनुसार ही निर्माण किये जाने वाले व्यय को

स्वयं लाईसैन्स धारी वहन करगा अस्थाई निर्माण निगम के अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुरूप होगा। लाईसेंस की अवधि समाप्त होने या अन्य किसी कारण निगम के द्वारा अवाप्ति करने की स्थिति में लाईसेंसधारी स्वयं के खर्चे पर समस्त निर्माण हटा लेगा। लाईसेंसधारी किसी भी सूरत में आवंटित स्थान पर स्थाई निर्माण नही करेगा।

36. संलग्न घोषणा पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करे।
37. सिन्धी कैम्प परिसर में नव निर्माण कार्य के कारण निगम प्रशासन को स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेन्सी को 24 घंटे का लिखित नोटिस देकर स्थान खाली करवाते हुए लाईसेन्स निरस्त किया जा सकता है एवम् इसके लिए लाईसेन्सी को किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।
38. निविदा फार्म पूर्ण एवं साफ–साफ भरा होना चाहिए। अपूर्ण निविदा फार्म स्वीकार नही किया जायेगा तथा निविदा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।
39. किसी शर्त का उल्लंघन करने पर बिना पूर्व सूचना के 24 घण्टे का नोटिस देकर दुकान का लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा एवम् इसके लिए लाईसेन्सी को किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।

मैने उपरोक्त शर्तों को भलीभांति पढ़कर, समझकर, सुनकर बिना दबाव के हस्ताक्षर किये है उक्त शर्ते मुझे पूर्णतया स्वीकार है।

श्रीमान कार्यकारी निदेशक (विधि) महोदय के कार्यालय आदेश कमांक 783 दिनांक 03.05.2024 के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उक्त अनुबन्ध की शर्तो में Dispute Resolution and Arbitration Clause को भी निम्नानुसार शामिल किया जाता है:–

40. **Dispute Resolution: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/ 17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.**
41. **Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/contracts/agreements issued by the Corporation shall be filed in the competent court located in jaipur.**

मैने उपरोक्त शर्तों को पढ़कर, समझकर,सुनकर मैने हस्ताक्षर किये है। उक्त शर्ते मुझे मुझे पूर्णतया स्वीकार है।

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड,जयपुर।

घोषणा–पत्र

निविदादाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

1. मैं/हम निगम कोष में जमा रसीद संख्या/डी.डी.संख्या/ बैकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... राशि .... रूपये .... जो कि CM RSRTC CBS JAIPUR के नाम देय है, संलग्न कर रहे है/कर दिया है।
2. मैं/हमने निगम की समस्त शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना करने का वचन देता हूँ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ लाईसेन्सी आधार पर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर दूंगी/देगें।
3. मैं/हम घोषणा करता/करते है कि मैने/हमने जो प्रस्ताव किये है उसमें किसी अन्य संस्थान का कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान की तरफ से नही दिये गये है।

दिनांक :–

(हस्ताक्षर निविदा दाता)
मय पद/हैसियत व मोहर सहित।

ANNEXURE - 1
DECLARATION BY BIDDERS REGARDING QUALIFICATIONS

In relation to our Bid submitted to .... [enter designation and address of the procuring entity] for bid of canteen stalls at CBS Jaipur .... [insert name of the Goods] in response to their Notice Inviting Bids No.......................... Dated .... we hereby declare that:

1. Declaration by the Bidder under Section 7 and 11 of the Act
   i. We are eligible and possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bid Document issued by the Procuring Entity.
   ii. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bid Document.
   iii. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have our affairs administered by a court or a judicial officer, not have our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
   iv. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
   v. We do not have a conflict of interest as specified in the RTPP Act & Rules and this Bid Document, which materially affects fair competition.
   vi. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the RTPP Act & Rules, and this Bid Document, till completion of all our obligations under the Contract.
2. Declaration by Bidder (For not being blacklisted)
   We, the undersigned declare that our firm have not been blacklisted by any of STU's/Govt. of India / State Government/ Public sector undertaking for breach of contract.
3. Declaration by Bidder (For not being bankruptcy and insolvent)

We, the undersigned declare that our firm have not been Bankruptcy /insolvent by any of Govt. bank / private bank.

If above declarations are found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/ our Bid Security may be forfeited in full and the Bid if any to the extent accepted may be cancelled.

Signed: ____________________Name: ____________________________________

In the capacity of: ____

Duly authorized to sign the Bid for and on behalf of: ______________________

Date: __________Tel: __________ Fax: ______________ e-mail: ______________

Date: Signature of Bidder:

Place: Name:

Designation: Address:

Signature and seal of bidder